मध्यप्रदेश विधान सभा

नवम्बर-दिसम्बर, 1996 सत्र

दैनिक कार्य सूची

शुक्रवार, दिनांक 6 दिसम्बर, 1996 (अग्रहायण 15, 1918)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. नियम 138 (1) के अधीन ध्यानाकर्षण

(1) डॉ. गौरीशंकर शेजवार, सदस्य, रायसेन जिले में पौध क्रय में अनियमितता होने की ओर कृषि मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) सर्वश्री प्रेम नारायण शर्मा, लक्ष्मीकांत शर्मा, चिरोंजीलाल सोनकर, सदस्य, विदिशा जिले की बेतवा नदी में हो रहे प्रदूषण की ओर पर्यावरण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(3) श्री रामनिवास रावत, सदस्य, मुरैना जिले के चम्बल नहर से कृषकों को सिचाई हेतु पानी न मिलने की ओर उप मुख्यमंत्री (जल संसाधन) का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(4) सर्वश्री ओंकार प्रसाद तिवारी, मोती कश्यप, श्रीमती जयश्री बेनर्जी, सदस्य, मध्यप्रदेश विद्युत मंडल का पुनर्गठन कर मुख्यालय परिवर्तन संबंधी कार्यवाही किये जाने की ओर ऊर्जा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(5) सर्वश्री लक्ष्मीकांत शर्मा, बृजमोहन अग्रवाल, रामेश्वर अखण्ड, सदस्य, ग्वालियर पुलिस दल से एक अभियुक्त के फरार होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(6) सर्वश्री भूपेन्द्र सिंह, बच्चन नायक, गोपीकृष्ण नेमा, सदस्य, सीहोर उप जेल में एक महिला कैदी की मौत होने की ओर जेल मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(7) सर्वश्री लक्ष्मीकांत शर्मा, भूपेन्द्र सिंह, बच्चन नायक, सदस्य, ग्वालियर स्थित केन्द्रीय जेल में कैदियों के मध्य खूनी संघर्ष होने की ओर जेल मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(8) सर्वश्री कैलाश विजयवर्गीय, कमल पटेल, सदस्य, होशंगाबाद जिले के एक राजनैतिक कार्यकर्ता पर प्राण घातक हमला होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(9) श्री बाबूलाल गौर, सदस्य, खण्डवा जिले के कुछ ग्रामों में दूषित पेयजल के कारण अनेक मौतें होने की ओर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(10) श्रीमती सुधा जैन, श्री ओंकार प्रसाद तिवारी, सदस्य, सागर रेल्वे स्टेशन पर बलात्कार से एक युवती की मौत होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(11) सर्वश्री भूपेन्द्र सिंह, बाबूलाल गौर, डॉ. आई.एम.पी.वर्मा, सदस्य, डबरा पुलिस थाने में पिटाई से एक व्यक्ति की मौत होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(12) श्री रामलखन सिंह (त्योंथर), सदस्य, रीवा जिले में निर्मित स्टाप डेमों में फाटक न लगाये जाने की ओर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(13) सर्वश्री बाबूलाल गौर, बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य, बस्तर जिले के कांकेर संभाग अंतर्गत किये गये निर्माण कार्यों में भ्रष्टाचार होने की ओर उप मुख्यमंत्री (जल संसाधन) का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(14) श्री कंकर मुंजारे, सदस्य, बालाघाट जिले में बीड़ी श्रमिकों का शोषण किये जाने की ओर श्रम मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(15) श्री कमल पटेल, सदस्य, होशंगाबाद जिले की कृषि उपज मंडी सिराली में कृषकों की उपज की खरीदी न होने की ओर कृषि मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(16) सर्वश्री सुरेन्द्र वर्मा, जगदीश देवड़ा, सदस्य, सीहोर जिले के रेहटी थानान्तर्गत एक आदिवासी महिला की हत्या होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(17) श्री भूपेन्द्र सिंह, सदस्य, सागर में खाद्य सामग्री उचित मात्रा मे उपलब्ध न हो पाने की ओर खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

— 2 —

3. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्री बच्चन नायक, सदस्य, जबलपुर जिले के –

(क) कटनी नगर निगम के आजाद नगर निवासियों को आवासीय पट्टा दिलाये जाने ;
(ख) ग्राम कटंगी में हाईस्कूल खोले जाने ;
(ग) ग्राम सर्रा से कटंगी कला तक सड़क निर्माण कार्य पूरा कराये जाने; तथा
(घ) ग्राम मझौली टोला में बिजली लगाये जाने,

(2) श्री रामपाल सिंह, सदस्य, रायसेन जिले के कस्बा उदयपुरा में –

(क) वार्ड क्रमांक 2 की सड़क का डामरीकरण कराये जाने;
(ख) खेल परिसर बनाये जाने ; तथा
(ग) आयुर्वेदिक औषधालय खोले जाने,

के संबंध में याचिकायें प्रस्तुत करेंगे.

4. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्री अशोक राव, बीस सूत्रीय कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री, मध्यप्रदेश लोक अभिकरणों के माध्यम से बीस सूत्रीय कार्यक्रम का कार्यान्वयन (संशोधन) विधेयक, 1996 (क्रमांक 27 सन् 1996) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

(2) श्री तनवन्त सिंह कीर, स्थानीय शासन मंत्री, मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (संशोधन) विधेयक, 1996 (क्रमांक 28 सन् 1996) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

निर्धारित समय

5. नियम 139 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा

1घन्टा 30 मि. प्रदेश के अनेक क्षेत्रों में अल्प वर्षा से उत्पन्न स्थिति के संबंध में सर्वश्री बच्चन नायक, डॉ. गोविन्द सिंह, रामलखन सिंह (त्यौंथर), गौरीशंकर बिसेन, डॉ. ढाल सिंह बिसेन, बनवारी लाल अग्रवाल, लक्ष्मीकांत शर्मा, रमेश शर्मा, बृजमोहन अग्रवाल, डॉ. आई.एम.पी.वर्मा, जयकरण साकेत तथा रामलखन शर्मा, सदस्य, चर्चा उठायेंगे.

6. अशासकीय विधि विषयक कार्य

30 मि. डॉ. विजय सिंह राजपूत, सदस्य, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद् (संशोधन) विधेयक, 1996 (क्रमांक 8 सन् 1996) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

7. अशासकीय संकल्प

(1) सर्वश्री गिरिराज मण्डलोई तथा बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

20 मि. "सदन का यह मत है कि मध्यप्रदेश के प्रत्येक विकास खण्ड में एक शासकीय महाविद्यालय खोला जाय".

(2) श्री रामेश्वर अखण्ड, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

30 मि. "सदन का यह मत है कि प्रदेश के किसानों को सिचाई हेतु विद्युत पम्प कनेक्शन के आवेदन पत्र देने से 1 माह के अन्दर स्थाई विद्युत कनेक्शन दिया जाय".

(3) श्री कमल पटेल तथा डॉ. आई.एम.पी.वर्मा, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

20 मि. "सदन का यह मत है कि प्रदेश के प्रत्येक जिले में एक वन औषधि उद्यान खोला जाय".

(4) श्री गौरीशंकर बिसेन, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

20 मि. "सदन का यह मत है कि प्रदेश के ऐसे समस्त विकास खण्डों, राजस्व निरीक्षक मंडलों जिनकी जनसंख्या वर्ष 1991 की जनगणना अनुसार 1 लाख से ऊपर है उन्हें तहसील का दर्जा दिया जाय".

(5) सर्वश्री बृजमोहन अग्रवाल, चिरोंजीलाल सोनकर तथा लल्लू सिंह, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

30 मि. "सदन का यह मत है कि किसानों की फसल का व्यक्तिगत रूप से फसल बीमा योजना लागू की जाय".

8. नियम 52 के अधीन आधे घन्टे की चर्चा

दिनांक 3 सितम्बर, 1996 को लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री से पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 7 (क्रमांक 4813) के उत्तर से उद्भूत विषय पर श्री रामलखन सिंह (त्यौंथर), सदस्य, चर्चा उठायेंगे.

भोपाल :
दिनांक : 5 दिसम्बर, 1996

अशोक चतुर्वेदी
सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा